



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 4159/अका./2006

रायपुर, दिनांक : 22/05/2006

॥ संशोधित अधिसूचना ॥

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 4917/अका./2006, दिनांक 27.04.2006 में निम्नानुसार रेखांकित अंश को जोड़ा जाता है :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की दिनांक 02.02.2006 को सम्पन्न 11 वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मॉडल केरिकुलम के प्रावधानानुसार अध्यादेश क्रमांक 55 M.H.Sc. के नाम में परिवर्तन कर M.Sc. (Home Science) किया गया । तदनुसार अध्यादेश क्रमांक 55 में आवश्यक संशोधन किया जाता है । यह संशोधन शिक्षा सत्र 2006-07 से प्रभावशील होगा ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 4160/अका./2006

रायपुर, दिनांक : 22/05/2006

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
3. प्राचार्य, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को ।
4. उप कुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय), पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
5. प्रभारी, उपाधि प्रकोष्ठ, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
6. वित्ताधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)